



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 फाल्गुन 1942 (श०)
पटना, बुधवार, —————
3 मार्च 2021 (ई०)

विषय-सूची		पृष्ठ
	पृष्ठ	
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-9	
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	10-10	
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	
भाग-4-बिहार अधिनियम	---	
भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---	
भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-9-विज्ञापन	---	
भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---	
भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---	
पूरक	---	
पूरक-क	---	

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

1 फरवरी 2021

सं० 1/प्रशि०निजी-02/2019 श्र०सं०-213—श्रीमती सुप्रिया भारती, प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अरवल को बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन) संहिता, 2014 के आलोक में संशोधित बिहार सेवा संहिता के नियम 220 में निहित प्रावधान के तहत दिनांक 25.06.2020 से 21.12.2020 तक उपभोगित कुल 180 दिनों के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० विनायक पद्माकर, अवर सचिव।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

24 फरवरी 2021

सं० I/E1-517/2008—756—श्री ब्रजनन्दन विद्यार्थी, तत्का० जिला अवर निबंधक, गया सम्प्रति सेवा निवृत्त के विरुद्ध सरकारी आदेशों के विरुद्ध आचरण, अनियमित निबंधन से सरकारी राजस्व की क्षति, कार्यालय प्रधान के रूप में अपने दायित्वों के प्रति घोर उपेक्षा एवं लापरवाही, अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारित एवं जान बुझकर आदेश की अवहेलना आदि आरोप में विभागीय संकल्प संख्या-1930 दिनांक 03.08.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी। श्री विद्यार्थी के दिनांक 30.09.2013 को सेवा निवृत्त हो जाने के कारण उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को संकल्प सं०-3842 दिनांक 22.11.2013 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43 (बी०) के तहत सम्पत्तिवर्तित किया गया है।

2. सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना-सह-जॉच आयुक्त के पत्रांक-14418 दिनांक 05.10.2020 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जॉच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आरोप सं०-01, 02, 03 एवं 04 को प्रमाणित निष्कर्षित किया गया। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-18 के तहत संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए प्रमाणित आरोप पर विभागीय पत्रांक-3341 दिनांक 16.10.20 द्वारा श्री विद्यार्थी से द्वितीय बचाव वयान की मांग की गयी। श्री विद्यार्थी द्वारा दिनांक 06.11.2020 को द्वितीय बचाव वयान विभाग में समर्पित किया गया है, जिसमें आरोपी पदाधिकारी ने प्रमाणित आरोपों के खंडन हेतु कोई साक्ष्य कागजता प्रस्तुत नहीं होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

3. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं श्री विद्यार्थी से प्राप्त बचाव वयान के समीक्षोपरांत बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43 (बी०) के तहत पेंशन की कटौती 30 (तीस) प्रतिशत 05 (पाँच) वर्षों के लिए करने का निर्णय लेते हुए विभागीय पत्रांक-4236 दिनांक 29.12.2020 द्वारा विभागीय दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से अभिमत की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-3302 दिनांक 15.02.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 11.02.2021 की बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त किया गया है।

4. उक्त के आलोक में पूर्ण विचारोपरान्त श्री ब्रजनन्दन विद्यार्थी, सेवा निवृत्त जिला अवर निबंधक को बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43 (बी०) के तहत पेंशन की कटौती 30 (तीस) प्रतिशत 05 (पाँच) वर्षों के लिए करने का दण्ड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचना

4 फरवरी 2021

सं० ग्रा०वि०-14(द०) दर०-04/2017—378896—क्रिमिनल मिसलेनियस वाद सं०-23385/2017 में मोजिबुल रहमान एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा पारित आदेश

दिनांक 10.07.2017 के अनुपालन के आलोक में श्री प्रेम कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, हायाघाट, दरभंगा के विरुद्ध प्रशासनिक अदूरदर्शिता एवं गलत मंशा के साथ कार्य करने के आरोप में जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक-1104 दिनांक 20.07.2017 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' प्राप्त है।

उक्त प्रतिवेदित आरोपों पर श्री कुमार से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। प्रतिवेदित आरोप एवं स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत यह पाया गया कि श्री कुमार के द्वारा प्रशासनिक अदूरदर्शिता एवं गलत मंशा के साथ कार्य किया गया जिसके कारण परिवादकर्ता एवं जाँच दल के सदस्यों के बीच मार-पीट की घटना हुई। फलतः पतोर ओपी0 काण्ड संख्या-APM (P.S.) Case No. 34/17 दर्ज हुआ।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री प्रेम कुमार, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, हायाघाट, दरभंगा के विरुद्ध 'असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने' का दंड अधिरोपित किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि श्री कुमार की चारित्रि पुस्तिका में इस दंड की प्रविष्टि की जाय।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बाला मुरुगन डी0, सचिव।

मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

अधिसूचना

24 फरवरी 2021

सं0 8/आ0 (राज0उ0)-02-31/2015-757—श्री सरोज कुमार, तत्कालीन प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, औरंगाबाद (मूल पद निरीक्षक उत्पाद) सम्प्रति सेवानिवृत्त (दिनांक-31.08.2016) के विरुद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा निगरानी थाना कांड सं0-110/2015 दिनांक-23.12.2015 की धारा-13 (2)-सह-पठित धारा-13 (1) (ई) भ्र0नि0अधि0 1988 दर्ज कर आय से अधिक संपत्ति की जाँच की गयी, जिसमें अर्जित कुल संपत्ति वैध स्त्रोतों से प्राप्त आय की तुलना में लगभग 10904053/- (एक करोड़ नौ लाख चार हजार तीरपन रू0) अधिक पाया गया है।

02. निगरानी विभाग (अन्वेषण ब्यूरो) के पत्रांक-2144 दिनांक 31.12.2015 के प्रतिवेदन के आधार पर श्री कुमार के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप गठित किया गया—

I. आरोप सं0-01— पद का दुरुपयोग कर अप्रत्यानुपातिक धर्नाजन—निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक-2144 दिनांक-31.12.2015 द्वारा अप्रत्यानुपातिक धर्नाजन के आरोप में निगरानी थाना कांड सं0-110/2015 दिनांक-23.12.2015 की धारा-13 (2)-सह-पठित धारा-13 (1) (ई) भ्र0नि0अधि0 1988 दर्ज कर सूचित किया गया है। जिसमें श्री कुमार द्वारा अर्जित कुल संपत्ति वैध स्त्रोतों से लगभग 10904053/- (एक करोड़ नौ लाख चार हजार तीरपन रू0) अधिक पायी गयी है। इस प्रकार श्री कुमार द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर नाजायज एवं भ्रष्ट तरीकों से संपत्ति अपनी पत्नी एवं परिवार के अन्य सदस्यों के नाम से अर्जित की गयी है।

II. आरोप सं0-02— बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 के प्रावधानों के प्रतिकूल आचरण— श्री कुमार द्वारा सरकारी सेवा में रहते हुए अवैध धर्नाजन किया गया है। जिसके कारण उनके विरुद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी है जो बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1976 के नियम 3 के प्रतिकूल है।

03. श्री कुमार के विरुद्ध गठित आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प सं0-3664 दिनांक-02.08.2016 के द्वारा विभागीय कार्यवाही सांस्थित की गयी है जिसके संचालन पदाधिकारी श्री श्रीकृष्ण पासवान, उपायुक्त उत्पाद, मगध प्रमंडल को नियुक्त किया गया।

04. विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी तत्कालीन उपायुक्त उत्पाद, मगध प्रमंडल सम्प्रति संयुक्त आयुक्त मद्यनिषेध श्री श्रीकृष्ण पासवान द्वारा उनके पत्रांक-128 दिनांक-08.09.2020 के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में निष्कर्षित किया गया है कि आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध मुख्य आरोप अप्रत्यानुपातिक धर्नाजन का है, जो निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के प्रतिवेदन पर आधारित है। दूसरा आरोप प्रथम आरोप का ही व्युत्पन्न है।

आरोपी पदाधिकारी द्वारा निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के संपत्ति विवरण का खण्डन किया गया है। विभागीय कार्यवाही में उपस्थित होकर पक्ष रखने हेतु श्री शिव कुमार झा, पुलिस अधीक्षक-सह-थानाध्यक्ष, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को सूचित किया गया है। किन्तु वे किसी तिथि को उपस्थित नहीं हुए हैं। तत्पश्चात निगरानी थाना कांड सं0-110/2015 के अद्यतन स्थिति का प्रतिवेदन की माँग की गयी है, किन्तु प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा तथ्यों की अपने स्तर से जाँच कराने के साधन भी नहीं हैं और यह समुचित भी नहीं है कि निगरानी जाँच से अलग जाँच किया जाय। ऐसी स्थिति में मात्र निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा समर्पित प्रतिवेदन जो अनुशासनिक कार्यवाही, ब्यूरो द्वारा समर्पित प्रतिवेदन जो अनुशासनिक कार्यवाही का साक्ष्य कागजात के आधार पर ही

निष्कर्षित किया जा सकता है। आरोपी पदाधिकारी द्वारा निगरानी के प्रतिवेदन का खण्डन किया गया है कि इसका सत्यापन अथवा प्रतिपरीक्षण कराना संभव नहीं है।

निगरानी अन्वेषण द्वारा प्रतिवेदित अप्रत्यानुपातिक धर्नाजन के विवरण के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोप सं०-1 एवं 2 प्रमाणित हो रहे हैं।

05. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक-3260 दिनांक 15.10.2020, स्मार पत्रांक-3781 दिनांक 12.11.2020 एवं 4198 दिनांक 24.12.2020 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए द्वितीय बचाव बयान की माँग की गयी।

श्री कुमार द्वारा अपने द्वितीय बचाव बयान में उल्लिखित किया गया है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आधारहीन तथ्यों पर साजिशपूर्ण तरीके से प्राथमिकी दायर करते हुए उनके विरुद्ध पद का दुरुपयोग करने का आरोप तथा अप्रत्यानुपातिक धर्नाजन का आरोप लगाया गया है, जिसमें रूपया 10904053/- (एक करोड़ नौ लाख चार हजार तीरपन रूप०) नाजायज रूप से अर्जित करने का संसूचन विभाग को भेजा गया है, जो वास्तविकता से परे है।

विभाग स्तर से निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के तथ्यों की बिना प्रारंभिक जाँच किये ही आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही संचालित कर दी गयी है। विभागीय कार्यवाही में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 की अनदेखी की गयी है।

06. श्री कुमार द्वारा संचालन पदाधिकारी द्वारा निष्कर्षित प्रमाणित आरोपों के प्रसंग में साक्ष्य आधारित तथ्य प्रस्तुत नहीं कर प्रक्रिया में त्रुटि का उल्लेख किया गया है। विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित सुनवाई की कई तिथियों को श्री कुमार संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं रहे हैं। इस प्रकार विभागीय कार्यवाही में उनके द्वारा उचित सहयोग नहीं किये जाने की पुष्टि होती है। अतएव इनका बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है।

07. अतः संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रमाणित आरोपों और आरोपी पदाधिकारी के द्वितीय बचाव बयान पर सम्यक विचारोपरान्त श्री सरोज कुमार, तत्कालीन प्रभारी अधीक्षक उत्पाद, औरंगाबाद (मूल पद निरीक्षक उत्पाद) सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43 (ख) के अधीन 100 प्रतिशत (शत प्रतिशत) पेंशन अवरुद्ध किये जाने का दंड अधिरोपित करते हुए विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

08. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनय कुमार, संयुक्त सचिव।

लघु जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

29 दिसम्बर 2020

सं० प्र०-01/ल०ज०सं०/स्था०(राज०)-10/2020(नियुक्ति)-4886—विज्ञापन सं०-03/2017 के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-7ए/स० अभि०(याँत्रिक) -01-08/2019{11}ल०से०आ०/गो०, दिनांक-27.07.2020 द्वारा अनुशंसित एवं पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-प्र०-2/स्था०-नियुक्ति-01-01/2018-5020(S), दिनांक-02.09.2020 द्वारा लघु जल संसाधन विभाग को आबंटित निम्नांकित 19(उन्नीस) अभ्यर्थियों को बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-02 में सहायक अभियन्ता(याँत्रिक) के पद पर पुनरीक्षित वेतन स्तर लेवल-9 (53,100-1,67,800) में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आदेय भत्तों के साथ लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के अधीन सहायक अभियन्ता(याँत्रिक) के रिक्त पदों के विरुद्ध निम्नांकित शर्तों के साथ प्रभार ग्रहण करने की तिथि से औपबधिक रूप से अस्थायी नियुक्ति करते हुए उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-06 में अंकित कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है। अतिरिक्त प्रभार 07 के अनुसार प्रभावी होगा।

क्र० सं०	मेधा क्रमांक / अनुक्रमांक	अनुशंसित/आ बंटित अभ्यर्थी का नाम/ जन्म तिथि/गृह जिला	पिता का नाम/स्थायी पता	आरक्षण कोटि	पदस्थापित कार्यालय का नाम	अतिरिक्त प्रभार	फोटो
1	2	3	4	5	6	7	8
1	02/304319	पंकज कुमार/ 10.03.1994/ गोपालगंज	कृष्णा साह ग्राम-मुकेरी टोला, पोस्ट-थावे, थाना+जिला-गोप ालगंज(बिहार) पिन कोड-841440	सामान्य	प्राक्कलन पदाधिकारी -सह- सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, मुंगेर	प्राक्कलन पदाधिकारी -सह- सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, शेखपुरा	

2.	06 / 308129	नितेश / 18.01.1993 / भागलपुर	अजीत कुमार साह / प्रयागधाम, आर0बी0एस0एस रोड, मुंदीचक, कोतवाली थाना(तिलकमांझी) भागलपुर (बिहार) पिन कोड-812001	सामान्य	प्राक्कलन पदाधिकारी —सह— सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, सीतामढ़ी	प्राक्कलन पदाधिकारी —सह— सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, शिवहर	
3	10 / 317998	राजीव कुमार सिंह / 02.05.1995 / सारण(छपरा)	शिवनाथ सिंह ग्राम—मोतीराजपुर, पोस्ट—सैदसराय, थाना—गरखा, जिला— सारण(छपरा) (बिहार) पिन कोड—841311	सामान्य	प्राक्कलन पदाधिकारी —सह— सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, मधेपुरा	प्राक्कलन पदाधिकारी —सह— सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, सहरसा	
4	12 / 3075 43	अशोक कुमार / 23.11. 1992 / भागलपुर	राजेन्द्र प्रसाद मंडल, ग्राम—फुलकिया नया टोला,NH- 80 पोस्ट—थाना— घोघा, जिला—भागलपुर (बिहार) पिन कोड—813205	सामान्य	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, गायघाट (मुजफ्फरपुर)		
5	14 / 3109 88	रवीन्द्र कुमार साह / 05.03.1993 / मुजफ्फरपुर	चुल्हाई साह ग्राम—लहलादपुर पताही, पोस्ट—पताही, थाना—सदर जिला— मुजफ्फरपुर (बिहार) पिन कोड—843113	सामान्य	प्राक्कलन पदाधिकारी —सह— सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, अररिया	प्राक्कलन पदाधिकारी —सह— सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, किशनगंज	
6	16 / 3041 39	नीतीश कुमार / 14. 02.1992 / गया	अमरेश कुमार, ग्राम—बारा, पोस्ट—थाना— गुरुआ जिला—गया (बिहार) पिन कोड—824205	सामान्य	प्राक्कलन पदाधिकारी —सह—सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गोपालगंज	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, सिवान	
7	111 / 304 191	निष्ठा सिंह / 02.01.1994 / पटना	सुभाष चन्द्र सिंह द्वारा— सौरभ आनन्द, उमाकान्त निवास, सेतुनगर (तेजप्रताप नगर), न्यू बाईपास,	सामान्य (महिला)	प्राक्कलन पदाधिकारी —सह—सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, नालन्दा		

			अनिसाबाद, थाना—बेउर पटना (बिहार) पिन कोड—800002				
8	143/300 877	नगमा जमाल / 25.10. 1994/ गोपालगंज	मकसूद आलम अंसारी ग्राम+पोस्ट—नरक टिया, थाना—उचकागाँव, जिला—गोपालगंज (बिहार) पिन कोड—841428	सामान्य (महिला)	प्राक्कलन पदाधिकारी —सह—सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बेगूसराय		
9	149/303 700	उमा भारती/ 08.12.1994/ नालन्दा	कृष्ण चन्द प्रसाद कृष्णापुरी, टिकुलीपर, बिहार क्लब के निकट, पोस्ट थाना —बिहारशरीफ, नालन्दा (बिहार), पिन कोड—803101	सामान्य (महिला)	प्राक्कलन पदाधिकारी —सह—सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, पटना		
10	49/3107 38	अरविन्द कुमार/ 15.03.1991 सीतामढ़ी	राज नन्दन राम, ग्राम—मैदान, पोस्ट—थाना— सुरसंड, जिला— सीतामढ़ी (बिहार) पिन कोड—843331	अनुसूचित जाति	प्राक्कलन पदाधिकारी —सह—सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, पूर्णियाँ	प्राक्कलन पदाधिकारी —सह— सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, कटिहार	
11	106/307 903	अभिषेक कुमार/ / 14.08.1994 मुंगेर	राजा राम ताँती, मोहनपुर, निकट लोकोगेट, जमालपुर, जिला—मुंगेर (बिहार) पिन कोड—811214	अनुसूचित जाति	प्राक्कलन पदाधिकारी —सह—सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, औरंगाबाद		
12	126/311 114	राकेश कुमार/ 19.01.1990/ पटना	रमेश कुमार द्वारा—स्व0 गरीबन रजक, ऐनी बेसेन्ट रोड, बी0एम0दास रोड, पुरंदरपुर, थाना —पिरबहोर, पोस्ट—बाँकीपुर, जिला—पटना (बिहार) पिन कोड—800004	अनुसूचित जाति	प्राक्कलन पदाधिकारी —सह—सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, कैमूर		

13	128 / 315 034	सुमित कुमार / 31.08.1993 / पटना	सुरेश प्रसाद, कुर्जी कोठिया, निकट मन्नु मॉर्केट, पोस्ट-सदाकत आश्रम, थाना- दीघा, जिला- पटना(बिहार) पिन कोड-800010	अनुसूचित जाति	प्राक्कलन पदाधिकारी -सह-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)		
14	208 / 304 447	तनूजा कुमारी / 01.04.1992 / पटना	राम औतार चौधरी, फ्लैट नं०-302, महावीर ईन्क्लेव, मौर्या पथ, खाजपुरा, बेली रोड, पोस्ट-बी०भी० कॉलेज, थाना-रा जीव नगर, जिला-पटना (बिहार) पिन कोड-800014	अनुसूचित जाति (महिला)	प्राक्कलन पदाधिकारी -सह-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, हाजीपुर		
15	41 / 3179 90	मो० माशूक फैजी / 15.03. 1995 / औरंगाबाद	महमूद आलम, ग्राम+पोस्ट+थाना -उपहारा, जिला-औरंगाबाद (बिहार) पिन कोड-824203	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	प्राक्कलन पदाधिकारी -सह-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, मधुबनी		
16	59 / 3019 14	सुजीत कुमार / 05. 12.1993 / दरभंगा	महानन्द ठाकुर ग्राम+थाना-सक तपुर, पोस्ट- पोखरभिन्डा, भाया-लोहना रोड, जिला- दरभंगा (बिहार) पिन कोड-847407	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	प्राक्कलन पदाधिकारी -सह-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, रोहतास		
17	63 / 3097 46	अनुराग कुमार / 28. 09. 1994 / पटना	अनुप कुमार ठाकुर, साईचक, महावीर कॉलोनी, पोस्ट-अनीसाबाद , थाना-बेऊर, पटना, जिला- पटना (बिहार) पिन कोड-800002	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	प्राक्कलन पदाधिकारी -सह-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, भागलपुर	प्राक्कलन पदाधिकारी -सह- सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, बाँका	

18	203/314 799	मीनाक्षी भारती / 29.01.1996 / मुजफ्फरपुर	उमार्शकर प्रसाद, अंडी गोला चौक, राम जानकी मंदिर के निकट, पोस्ट— प्रधान डाकघर मुजफ्फरपुर, थाना—टाउन जिला— मुजफ्फरपुर (बिहार) पिन कोड—842001	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सिंचाई अनुमण्डल, समस्तीपुर		
19	200/315 211	नम्रता सिंह / 01.10.1994 / मुजफ्फरपुर	अरविन्द कुमार यूनिटी हाउस, प्रथम तल्ला, सिद्धार्थपुरम, लेन—02, राम दयालू नगर, सदरथाना, पोस्ट—रमना, मुजफ्फरपुर (बिहार) पिन कोड—842002	पिछड़े वर्ग की महिला	अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सिंचाई अनुमण्डल, दरभंगा		

2. इन्हें वेतनादि एवं अन्य देय वित्तीय लाभ सहायक अभियन्ता(याँत्रिक) के पद पर कार्यभार/प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा। प्रथम नियुक्ति होने के कारण प्रभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।

3. इनके पारस्परिक वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मेधा क्रमानुसार होगी।

4. सभी नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(याँत्रिक) अधिसूचना निर्गत होने के एक माह के अन्दर नवपदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण कर विभाग को दो प्रतियों में प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन अपने नियंत्री पदाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के उपरांत निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

5. सेवा में योगदान की तिथि के दो वर्षों के बाद नियमानुसार नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(याँत्रिक) की सेवा संपुष्ट की जायेगी। इस अवधि में आकस्मिक अवकाश को छोड़कर अन्य अवकाश विभाग द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

6. वित्त विभाग के संकल्प संख्या—1964 दिनांक—31.08.2005 एवं 768 पे0को0 दिनांक—03.07.2007 के अनुसार उक्त नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(याँत्रिक) पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

7. यह नियुक्ति इस शर्त के साथ की जाती है कि इनसे संबंधित सभी प्रमाण पत्र एवं चारित्री सत्यापन के क्रम में किसी प्रकार का दोष या फर्जी पाये जाने पर इनकी नियुक्ति को रद्द करते हुए संबंधित अभ्यर्थी के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।

8. उक्त सभी नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(याँत्रिक) द्वारा राज्य सरकार एवं लघु जल संसाधन विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत अनुदेशों का पालन किया जायेगा।

9. पूर्व वृत सत्यापन(Police Verification) प्रतिकूल रहने पर अस्थायी नियुक्ति तुरन्त समाप्त कर दी जायेगी।

10. नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(याँत्रिक) जो वर्तमान में यदि किसी राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें पदस्थापित कार्यालय में योगदान पत्र के साथ संबंधित विभाग/संस्थान का विरमित आदेश/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

11. सभी संबंधित नियंत्री पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि नवनियुक्त सहायक अभियन्ताओं(याँत्रिक) के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र/चरित्र प्रमाण पत्र/ जाति प्रमाण पत्र एवं पूर्व नियोक्ता से निर्गत विरमण प्रमाण पत्र/स्वीकृत त्याग पत्र आदि की जाँच कर एवं स्वयं संतुष्ट होने के उपरान्त ही उनका योगदान स्वीकृत करेंगे।

12. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
गीता सिंह, उप—सचिव।

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

आदेश

3 फरवरी 2021

सं० के/कारा/रा०प०-31/07-1040—श्री लाल बाबू सिंह, अधीक्षक, उपकारा, हिलसा (बिहार कारा सेवा) की सेवा उनके वरीयता क्रम में नाम के सम्मुख स्तम्भ-06 (छः) में अंकित तिथि से सम्पुष्ट की जाती है :-

क्र०	काराधीक्षक का नाम	मूल कोटि का वरीयता क्रमांक	काराधीक्षक के पद पर नियुक्ति/योगदान की तिथि	नियुक्ति का श्रोत	सम्पुष्टि की तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री लाल बाबू सिंह	28	24.01.2019 (प्रोन्नति दि०-03.02.2017 के भूतलक्षी प्रभाव से)	प्रोन्नति	24.01.2021

आदेश से,

ह०/अस्पष्ट, संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र०)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 44-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश,
अधिसूचनाएं और नियम आदि।

लघु जल संसाधन विभाग

शुद्धि-पत्र

29 जनवरी 2021

सं० प्र०-01/ल०ज०सं०/स्था०(राज०)-10/2020(नियुक्ति)-346—विभागीय अधिसूचना सं०-4886 दिनांक 29.12.2020 की कड़िका-01 के सूची क्रमांक- 18 एवं 19 में निम्नरूपेण संशोधन किया जाता है:-

1. सूची क्र० सं०-18 के स्तम्भ-06 में अंकित “अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सिंचाई अनुमण्डल, समस्तीपुर के स्थान पर “अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, समस्तीपुर” पढ़ा जाय ।
2. सूची क्र०सं०-19 के स्तम्भ-06 में अंकित “अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सिंचाई अनुमण्डल, दरभंगा” के स्थान पर “अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, दरभंगा” पढ़ा जाय ।
3. सूची क्र०सं०-19 के स्तम्भ-04 में अंकित “अरविन्द कुमार” के स्थान पर “अरविन्द कुमार सिंह” पढ़ा जाय ।
4. विभागीय अधिसूचना सं०-4886 दिनांक-29.12.2020 की शेष प्रविष्टियाँ यथावत् रहेंगी ।
5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

आदेश से,
गीता सिंह, उप-सचिव।

शुद्धि-पत्र

19 फरवरी 2021

सं० प्र०-01/ल०ज०सं०/स्था०(राज०)-10/2020(नियुक्ति)-704—विभागीय अधिसूचना सं०-4886, दिनांक 29.12.2020 की कड़िका-01 के सूची क्रमांक- 18 एवं 19 में निम्नरूपेण संशोधन किया जाता है:-

1. सूची क्र० सं०-18 के स्तम्भ-06 में अंकित “अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सिंचाई अनुमण्डल, समस्तीपुर” के स्थान पर “अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, समस्तीपुर” पढ़ा जाय ।
2. सूची क्र०सं०-19 के स्तम्भ-06 में अंकित “अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, सिंचाई अनुमण्डल, दरभंगा” के स्थान पर “अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, लहेरियासराय, दरभंगा” पढ़ा जाय ।
3. सूची क्र०सं०-19 के स्तम्भ-04 में अंकित “अरविन्द कुमार” के स्थान पर “अरविन्द कुमार सिंह” पढ़ा जाय ।
4. विभागीय अधिसूचना सं०-4886, दिनांक-29.12.2020 की शेष प्रविष्टियाँ यथावत् रहेंगी ।
5. इस संबंध में पूर्व में निर्गत शुद्धि पत्र सं०-346, दिनांक-29.01.2021 को रद्द समझा जाय ।
6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

आदेश से,
प्रवीण कुमार, संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 44-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>